

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर देसूरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- पर्वत सिंह चूण्डावत उपखण्ड अधिकारी देसूरी
उनवान
जसाराम पुत्र भीमा कौम जाट निवासी मांडीगढ़
बनाम
डायालाल पुत्र मगनाजी जाट निवासी मांडीगढ़
हिराराम पुत्र मगनाजी जाट निवासी मांडीगढ़

दावा बाबत - बंटवारा राजकाशत 1955 धारा 53
मुकदमा नम्बर :- 05/16

निर्णय दिनांक :- 09.05.2016

वादी जसाराम पुत्र भीमा कौम जाट निवासी मांडीगढ़ व प्रतिवादी
डायालाल पुत्र मगनाजी जाट निवासी मांडीगढ़, हिराराम पुत्र मगनाजी जाट निवासी मांडीगढ़
की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 09.05.2016 को. पर्वत सिंह चूण्डावत (नाम
पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने
पर, आदेश किया जाता है कि

जसाराम पुत्र भीमा कौम जाट सा.देह खातेदार के नाम ग्राम मांडीगढ़ पटवार वृत्त मांडीगढ़ तहसील देसूरी के
ख.न 379 रकबा 0.14 है. किस्म बा.दो लगान 0.70 एवं डायालाल हिराराम पुत्र मगनाजी कौम जाट सा.देह खातेदार के नाम
ग्राम मांडीगढ़ पटवार वृत्त मांडीगढ़ तहसील देसूरी के ख.न 379/1 रकबा 0.05 है. किस्म बा.दो. लगान 0.25 व ख.न 380
रकबा 0.12 है. किस्म बा.दो. लगान 0.60 व ख.न 381 रकबा 0.12 है. किस्म बा.दो. लगान 0.60 व ख.न 382 रकबा 0.14 है.
किस्म बा.दो. लगान 0.70 कुल ख.न 4 कुल रकबा 0.43 है. किस्म बा.दो लगान 2.15 दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते हैं एवं
नक्शा तैयार किया गया जो संलग्न है उस अनुसार नक्शे में तस्मी हो तदनुसार डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान
अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 09.05.2016 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की जाती
है।

(पर्वत सिंह चूण्डावत)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
प्रभारी उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर देसूरी
उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
दिनांक

क्रमांक/शिविर/2016/

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार देसूरी को भेजकर लेख है कि माफिक डिक्री एवं नक्सानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर
पालना रिपोर्ट भिजवायें।

(पर्वत सिंह चूण्डावत)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
प्रभारी उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर देसूरी
उपखण्ड अधिकारी, देसूरी